न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/44/2019

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री शुभराम पुत्र रामचन्द्र निवासी–ग्राम व पोस्ट–कारोडा, तहसील–बहरोड जिला–अलवर (राज.)–301020		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि 24.06.2019

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 04.07.2019

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 17.05.19 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में दिनांकः 26.06.02 को कृषि भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन मय समस्त पत्रावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की वांछा प्रत्यर्थी से की गई थी।
4. अपीलार्थी को आवेदन दिनांकः 17.05.19 में वांछित सूचना नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 19.06.19 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है एवं वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से पत्रांकः लोक सूचना/2019/856 दिनांकः 03.07.19 के माध्यम से नोटिस का जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील व प्रत्यर्थी की ओर से प्रेषित अपीलोत्तर का परीक्षण किया।
8. अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 17.05.19 के संबंध में पत्रांकः 795 दिनांकः 22.06.19 के माध्यम से आवेदक को सूचित करते हुए जवाब नोटिस के साथ सूचना प्रति इस न्यायालय को भिजवाई गई है। अपील प्रा0पत्र, प्रथम आवेदन व प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब के अवलोकनोपरांत जाहिर हुआ कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के उक्त प्रकरण में प्रथम अपील दिनांकः 19.06.19 इस न्यायालय को प्रस्तुत किए जाने के बाद पत्र दिनांकः 22.06.19 के माध्यम से संसूचित करते हुए पत्रांकः 856 दिनांकः 03.07.19 के माध्यम से अपीलोत्तर प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार–

P.T.O.

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) ALWAR (RAJ.) अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

वांछित सूचना संबंधी पत्रावली पत्रांकः 1239 दिनांकः 24.11.17 के माध्यम से अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम, अलवर को भिजवाई गई है।

9. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 17.05.19 पर अधिनियम की धारा 7(1) में वर्णित निर्धारित समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर विलम्ब से सूचित किया गया है जो उक्त अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति उदासीनता का परिचायक है। उक्त के अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण में सूचना प्रदान की गई है तथापि सूचना प्रदत्त है।

10. उक्त आलोक में प्रथम अपील खारिज की जाती है व प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो भविष्य में उक्त अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर समयावधि में त्वरित निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो प्रत्यर्थी विभाग के पत्रांकः 1239 दिनांकः 24.11.2017 मय संलग्नकों की प्रति प्रत्यर्थी विभाग से प्राप्त कर पृथक से लोक सूचना अधिकारी कार्यालय जिला कलक्टर, अलवर को आवेदन प्रस्तुत करे।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)